तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा दौसा हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रामगढ़ न्यायालय पत्रावली संख्या 21/2022	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म
21/01/22	विद्वान अधिवक्ता श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल आर एक्ट के तहत पेश किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलवी अप्रार्थीगण कि जारी होकर पत्रावली दिनांक 30/3/22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा (दौसा)	

30/3/22 पत्रावली देशबुड़े (वकील) प्रार्थी उपस्थित हुई। रामस्थान लाकर जरिये तहसीलदार रामगढ़ को जावे। नोटिस वादतामील वेरंग वापसी है। तहसीलदार रामगढ़ से विवादित आराजी एक्ट मौकाबा सुविधा ओर लिखे तौर पर स्थल मुआयना इंगरूट तहसील रामगढ़ को भेजा जाना। इंकित किया है। रिपोर्ट इकरार है। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 RAct प्रस्तुत कर कहना कि मौजा रामगढ़ खालसा में मौजा रामगढ़ खालसा में 10 बीघा 0 बिस्वा स्थित मुआ इंगरूट की पत्थरगढ़ी करवाना चाहते हैं। हमने प्रस्तुत पत्रावली का अवलोकन किया जिसमें प्रार्थी कहना पत्थरगढ़ी की पत्थरगढ़ी करवाने

का कानून अवैधानिक है अतः प्रार्थी का.प्र.सं.
अन्तर्गत धारा 128 (2) (ब) नोटिस किसी भी
प्रकार से नहीं दिया जाता है
एवं तहसीलदार / उपखण्ड अधिकारी
किसी भी आदेश
करने का अधिकार नहीं है कि आपकी अनुपस्थिति
में आपके विरुद्ध निर्णय पारित किया जाता है
30/7/20 को सुनवाई हुई।
प्रार्थना की कि उक्त सुनवाई को निरस्त
करते हुए उचित आदेश पारित किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ पचवारा (दौसा)